UCCI/Newsletter/2019-20/July/6 29 July 2020 |E-News Letter

यूसीसीआई ने भेजा रिसोर्ट आदि के निर्माण के लिए बिल्डिंग एरिया रेशियो में सुधार हेतु ज्ञापन

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने रिसोर्ट आदि भवनों के निर्माण हेतु भवन क्षेत्रफल अनुपात में सुधार हेतु सरकार को प्रतिवेदन प्रेशित किया है।

यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक भवन के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात (बिल्डिंग एरिया रेशियो) का मानक तय होता है जो कि सडक की चौडाई के अनुसार तय किया जाता है। राजस्थान में रिसोर्ट इत्यादि भवनों के निर्माण के लिए यह अनुपात मात्र 0.35 प्रतिशत है जिस कारणवश रिसोर्ट के भवन के निर्माण में केवल एक या दो मंजिल तक का निर्माण ही सम्भव हो पाता है। यही बिल्डिंग एरिया रेशियो शहर में बनने वाली होटल बिल्डिंग हेतु डेढ गुना तक होता है। ऐसा होने से जहां होटलें चार या पांच मंजिल तक बनाई जा सकती है, वहीं रिसोर्ट के मामले में केवल भूतल को छोडकर उपर दो मंजिल तक भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस कारण से इस उद्योग में कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है।

अध्यक्ष श्री रमेश सिंघवी ने बताया कि जोन 1–बी, जो कि नियंत्रित निर्माण जोन (कन्ट्रोल्ड कंसट्रक्शन जोन) में आता है, उसमें रिसोर्ट इत्यादि के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात को 0.35 प्रतिशत से सुधार कर 0.6 प्रतिशत करने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को सुझाव भेजे हैं। इसका ज्ञापन विभाग के मंत्री श्री शांति कुमार धारिवाल एवं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को भेजा गया है।

उदयपुर शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है तथा प्रतिवर्श लाखों देशी–विदेशी सौलानी यहां घूमने आते हैं। हाल ही के समय में नेचर टूरिज्म के प्रति रूझान बढा है तथा रिसोर्ट्स के विकास के लिए ध्यान दिया जाना जाना जरूरी है। ऐसे में वर्तमान नियमों में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्डिंग एरिया रेशियो में सुधार होने से रिसोर्ट्स के निर्माण क्षेत्र में निवेश बढेगा तथा इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

बिजनेस रेमेडिज

यूसीसीआई ने रिसोर्ट आदि के निर्माण के लिए बिल्डिंग एरिया रेशो में सुधार हेतु भेजा ज्ञापन

बिजनेस रेमेडीज/उदयपुर। उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने रिसोर्ट आदि भवनों के निर्माण हेतु भवन क्षेत्रफल अनुपात में सुधार हेतु सरकार को प्रतिवेदन प्रेषित किया है।

यूसीसीआई के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि प्रत्येक भवन के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात (बिल्डिंग एरिया रेशो) का मानक तय होता है जो कि सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय किया जाता है। राजस्थान में रिसोर्ट इत्यादि भवनों के निर्माण के लिए यह अनुपात मात्र 0.35 प्रतिशत है , जिस कारणवश रिसोर्ट के भवन के निर्माण में केवल एक या दो मंजिल तक का निर्माण ही सम्भव हो पाता है। यही बिल्डिंग एरिया रेशो शहर में बनने वाली होटल बिल्डिंग हेतु डेढ़ गुना तक होता है। ऐसा होने से जहां होटलें चार या पांच मंजिल तक बनाई जा सकती है। वहीं रिसोर्ट के मामले में केवल भूतल को छोड़कर ऊपर दो मंजिल तक भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस कारण से इस उद्योग में कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है। सिंघवी ने बताया कि जोन 1-बीए जो कि नियंत्रित निर्माण जोन (कन्ट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन जोन) में आता है, उसमें रिसोर्ट इत्यादि के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात को 0.35 प्रतिशत से सुधार कर 0.6 प्रतिशत करने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को सुझाव भेजे हैं। इसका ज्ञापन विभाग के मंत्री शांति कुमार धारिवाल एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया है।

उदयपुर शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है तथा प्रतिवर्ष लाखों देशी-विदेशी सैलानी यहां घूमने आते हैं। हाल ही के समय में नेचर टूरिज्म के प्रति रुझान बढ़ा है तथा रिसोर्ट्स के विकास के लिए ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऐसे में वर्तमान नियमों में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्डिंग एरिया रेशियो में सुधार होने से रिसोर्ट्स के निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

दैनिक नवज्योति

रिसोर्ट भवन निर्माण के लिए बिल्डिंग एरिया रेशो में सुधार की मांग

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसोर्ट आदि भवनों के निर्माण के लिए भवन क्षेत्रफल अनुपात में सुधार के लिए सरकार को प्रतिवेदन भेजा है।

यूसीसीआई के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि हर भवन के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात (बिल्डिंग एरिया रेशियों) का मानक तय होता है जो कि सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय किया जाता है। राजस्थान में रिसोर्ट इत्यादि भवनों के निर्माण के लिए यह अनुपात मात्र 0.35 प्रतिशत है।

जिस कारण रिसोर्ट के भवन निर्माण में केवल एक या दो मंजिल तक का निर्माण ही संभव हो पाता है। यही बिल्डिंग एरिया रेशियो शहर में बनने वाली होटल बिल्डिंग के लिए डेढ़ गुना तक होता है। ऐसा होने से जहां होटलें चार या पांच मंजिल तक बनाई जा सकती है, वहीं रिसोर्ट के मामले में केवल भूतल को छोड़कर ऊपर दो मंजिल तक भी निर्माण नहीं किया जा सकता।

सिंघवी ने बताया कि जोन 1-बी जो कि नियंत्रित निर्माण जोन में आता है, उसमें रिसोर्ट इत्यादि के निर्माण में भवन क्षेत्रफल अनुपात को 0.35 प्रतिशत से सुधार कर 0.6 प्रतिशत करने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को सुझाव भेजे हैं। इसका ज्ञापन विभाग के मंत्री शांतिकुमार धारिवाल एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया है।

UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Chamber Bhawan, Chamber Marg, M.I.A., Udaipur - 313003 (Raj.)

Ph. : 0294-2492215, 2491060

www.ucciudaipur.com | E-mail : uccisec@gmail.com